MPS 003
Democracy and Development
लोकतंत्र और विकास
Important question and important topics
For both hindi and english students

Topic 1

Judicial Review

Judicial review is the power of courts to assess the constitutionality of legislative acts, executive actions, and administrative decisions. It is a crucial mechanism in maintaining the rule of law and ensuring that governmental actions conform to the constitution.

न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा अदालतों की वह शक्ति है जो विधायी कृत्यों, कार्यकारी कार्यों, और प्रशासनिक निर्णयों की संवैधानिकता का आकलन करती है। यह कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है कि सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप हों।

Significance of Judicial Review

Protection of Fundamental Rights

Judicial review ensures that fundamental rights of individuals are protected by invalidating laws and actions that infringe upon these rights.

मौलिक अधिकारों का संरक्षण

न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, कानूनों और कार्यों को अमान्य करके जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

Check on Legislative and Executive Powers

It acts as a check on the powers of the legislature and the executive, preventing the abuse of power and arbitrary decision-making.

विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर नियंत्रण

Scholarly Minds

यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, शक्ति के दुरुपयोग और मनमाने निर्णय लेने को रोकता है।

Upholding the Constitution

Judicial review upholds the supremacy of the constitution by ensuring that all laws and governmental actions are in accordance with constitutional provisions.

संविधान की रक्षा

न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करके संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है कि सभी कानून और सरकारी कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

Judicial Review in India

In India, the concept of judicial review is enshrined in the Constitution. Articles 13, 32, 131-136, 143, 226, and 246 provide the basis for the judiciary's power to review laws and actions of the government. The Supreme Court and High Courts have the authority to strike down laws and actions that violate the Constitution.

भारत में न्यायिक समीक्षा

भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान में निहित है। अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143, 226, और 246 न्यायपालिका की शक्तियों के आधार प्रदान करते हैं ताकि वह सरकार के कानूनों और कार्यों की समीक्षा कर सके। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास उन कानूनों और कार्यों को निरस्त करने का अधिकार है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं।

Landmark Cases in India

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

This case established the "basic structure doctrine," asserting that certain fundamental features of the Constitution cannot be altered by amendments.

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

Scholarly Minds

इस मामले ने "मूल संरचना सिद्धांत" स्थापित किया, जिसमें कहा गया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता।

Minerva Mills v. Union of India (1980)

The Supreme Court reaffirmed the basic structure doctrine and struck down amendments that violated this principle.

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की और उन संशोधनों को निरस्त कर दिया जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करते थे।

Topic 2

Write a shot note on constitutional rights granted to indian citizens

Constitutional Rights Granted to Indian Citizens

The Constitution of India provides a comprehensive framework of fundamental rights to its citizens, ensuring the protection and promotion of their dignity, liberty, and equality. These rights are enshrined in Part III of the Constitution, from Articles 12 to 35, and are enforceable by the judiciary.

भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों पर संक्षिप्त नोट

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जो उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करता है। ये अधिकार संविधान के भाग III में, अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं, और न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

Key Constitutional Rights

Right to Equality (Articles 14-18)

This includes equality before the law, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, and the abolition of untouchability and titles.

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

Scholarly Minds

इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन शामिल है।

Right to Freedom (Articles 19-22)

This encompasses various freedoms such as speech and expression, assembly, association, movement, residence, and profession. It also includes protection in respect of conviction for offenses and protection of life and personal liberty.

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, और पेशे की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी शामिल है।

Right against Exploitation (Articles 23-24)

These articles prohibit human trafficking, forced labor, and employment of children in hazardous conditions.

शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

ये अनुच्छेद मानव तस्करी, जबरन श्रम, और खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करते हैं।

Right to Freedom of Religion (Articles 25-28)

These rights ensure freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion. They also provide for freedom from taxation for promotion of any particular religion and prohibit religious instruction in government-funded institutions.

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

ये अधिकार अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। वे किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों से मुक्ति और सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर भी रोक लगाते हैं।

Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)

Scholarly Minds

These rights protect the interests of minorities by allowing them to conserve their culture, language, and script, and by granting them the right to establish and administer educational institutions of their choice.

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

ये अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने और अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देते हैं।

Right to Constitutional Remedies (Article 32)

This is a fundamental right that allows individuals to approach the Supreme Court or High Courts to seek enforcement of other fundamental rights. Dr. B.R. Ambedkar called it the "heart and soul" of the Constitution.

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

यह एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की अनुमति देता है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा था।

Topic 3

Tension Areas in Center and State Relations

The relationship between the central and state governments in India is defined by the Constitution, which establishes a federal structure with a strong unitary bias. Despite this framework, several areas often create tensions between the center and the states.

केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र

भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संबंध एक संघीय ढांचे को स्थापित करता है जिसमें एक मजबूत एकात्मक पक्षपात होता है। इस ढांचे के बावजूद, कई क्षेत्र अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा करते हैं।

Scholarly Minds

Key Tension Areas

Legislative Powers

The distribution of legislative powers is a frequent source of tension. The Constitution lists subjects under the Union List, State List, and Concurrent List. Disputes arise when both the center and states legislate on subjects in the Concurrent List, or when the center enacts laws on State List subjects under certain circumstances.

विधायी शक्तियां

विधायी शक्तियों का वितरण तनाव का एक सामान्य स्रोत है। संविधान संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों को सूचीबद्ध करता है। विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं, या जब केंद्र कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है।

Financial Relations

Financial relations often lead to disputes, particularly regarding the distribution of central taxes and grants. States often feel that they do not receive an equitable share of central revenues and grants, leading to demands for greater fiscal autonomy.

वित्तीय संबंध

वित्तीय संबंध अक्सर विवादों को जन्म देते हैं, विशेष रूप से केंद्रीय करों और अनुदानों के वितरण के संबंध में। राज्यों को अक्सर लगता है कि उन्हें केंद्रीय राजस्व और अनुदानों का उचित हिस्सा नहीं मिलता है, जिससे अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग बढ़ जाती है।

Governor's Role

The governor's role as the central government’s representative in states can be contentious. Instances of governors acting against the wishes of the state government, or dissolving state assemblies, have led to accusations of bias and undue central interference.

राज्यपाल की भूमिका

राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद हो सकती है। राज्यपालों द्वारा राज्य सरकार की इच्छाओं के

Scholarly Minds

खिलाफ कार्य करने या राज्य विधानसभाओं को भंग करने की घटनाओं ने पक्षपात और अनुचित केंद्रीय हस्तक्षेप के आरोपों को जन्म दिया है।

Emergency Provisions

The use of emergency provisions under Articles 352, 356, and 360 can create significant tension. The imposition of President's Rule under Article 356, in particular, has been controversial, with states alleging misuse of this power by the center to dismiss opposition-led state governments.

आपातकालीन प्रावधान

अनुच्छेद 352, 356, और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर सकता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विवाद रहा है, राज्यों ने केंद्र द्वारा विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इस शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

Language and Cultural Issues

Language policies and the promotion of Hindi as the official language have historically been sources of tension, especially in non-Hindi-speaking states. Cultural policies perceived as favoring one region or community over others can also create discord.

भाषा नीतियां और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना विशेष रूप से गैर-हिंदी भाषी राज्यों में ऐतिहासिक रूप से तनाव का कारण रहा है। एक क्षेत्र या समुदाय को दूसरों पर प्राथमिकता देने वाली सांस्कृतिक नीतियां भी असंतोष पैदा कर सकती हैं।

Scholarly Minds